न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17/2021 (राजसमन्द डिक्री)

1. मिठ्ठालाल पिता एकलिंग जी माली, निवासी 100 फिट रोड़, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती डाली पुत्री एकलिंग जी पत्नी लालुराम उर्फ ललित माली, निवासी हाल कालाजी मंदिर के पीछे, तकिया की बावड़ी, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नरेश पिता एकलिंग जी माली, निवासी 100 फिट रोड़, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती दुर्गाबाई पुत्री एकलिंग जी पत्नी देवीलाल माली, निवासी राजनगर हाल नेतावला, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द प्रकरण संख्या 118/2018 दिनांक 27.01.2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अतुल पालीवाल अभिभाषक रे0 सं0 1
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———:::———

निर्णय **दिनांक 21–12–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राजनगर में आराजी नंबर 507/3 रकबा 15 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है एवं आपसी सहमति अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु वादी अपनी भूमि को संयुक्त नहीं रखना चाहता है। अतः वादी का स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी का पक्षकारों के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–01–2020 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–09–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अतुल पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:50:19 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माह मार्च से जुलाई 2020 तक कोविड–19 के कारण न्यायालय बन्द रहे, जिससे वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, जानकारी होते ही नकले प्राप्त होते ही अपील प्रस्तुत कर दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कोविड–19 के कारण हुए विलम्ब एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि प्रारम्भिक डिक्री पर किसी पक्षकार की सहमति नहीं थी, ऐसी स्थिति में कानूनन प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की जा सकती। वादी का वाद प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर निर्णित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, अभी अंतिम डिक्री जारी नहीं की गयी है। स्वयं प्रतिवादी/अपीलान्ट ने भी मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किये जाने का कथन किया है। किस पक्षकार को विवादित आराजी का कौन सा हिस्सा दिया जायेगा, यह तो मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के बाद अंतिम डिक्री में ही तय होगा। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:50:19 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

मिठ्ठालाल पिता एकलिंग जी माली, निवासी 100 फिट रोड़, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य	बनाम	**नरेश पिता एकलिंग जी माली, निवासी 100 फिट रोड़, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**17 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**01**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**.....माह.....**12**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री अक्षय पालीवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री अतुल पालीवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**12**.....**2022**
को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:50:19 IST
Reason: SelfAttested